कार्यालय
मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक
उ0प्र0 जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान (वाल्मी)
वाल्मी भवन, उतरेटिया लखनऊ

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-02/वाल्मी/2018-19 दिनांक 30.11.2018

महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) लखनऊ में कार्यालय एवं आवासीय परिसर की जलापूर्ति, साफ सफाई एवं अन्य कार्यों हेतु कार्मिको की सेवाये प्राप्त करना इत्यादि कार्यो हेतु पंजीकृत मान्यता प्राप्त एवं सेन्ट्रल एक्साइज विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों/एजेन्सी/फर्म, जिन्हें वांछित कार्यों का पर्याप्त अनुभव है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.12. 2018 के समय 02 बजे अपरान्ह् तक निम्नलिखित विवरण अनुसार मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो संस्थान में रखे सीलबन्द निविदा बाक्स में डाली जायेगी। समस्त डाली गई निविदायें दिनांक 18.12.2018 को समय 03 बजे अपरान्ह् उपस्थित ठेकेदारों/एजेन्सी/फर्म के समक्ष अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कमेटी हाल वाल्मी में खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.12. 2018 से 15.12.2018 तक कार्यदिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से सायं 05 बजे तक बिक्री हेतु वाल्मी संस्थान लखनऊ में उपलब्ध रहेगा।

क्रम0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित आवश्यकता	धरोधर धनराशि (90 दिवस की वैधता सहित) (रू0 में)
1	2	3	4
लाट संख्या-01			
1.	वाल्मी संस्थान में कार्यालय एवं आवासीय परिसर की जलापूर्ती, साफ सफाई एवं अन्य कार्यो हेतु कार्मिको की सेवाये प्राप्त करना। 1. पम्प आपरेटर 2. प्लम्बर 3. कारपेन्टर 4. वाहन चालक 5. लाईब्रेरी असिस्टेन्ट 6. बेलदार 7. प्रशिक्षण परिचर	 01 Nos. 01 Nos. 01 Nos. 01 Nos. 01 Nos. 05 Nos. 02 Nos.	18000.00 मात्र
	योग	12 Nos.	

नियम व शर्ते

1. यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://upgov.up.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है।
2. इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र कार्यालय, जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), उतरेटिया लखनऊ से रू0 300.00+GST नगद भुगतान कर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उपनिदेशक (प्रशासन) वाल्मी के नाम देय हो, देकर प्राप्त कर सकते है।
3. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि के रूप में उपरोक्त तालिका में निर्धारित धरोहर एफ0डी0आर0/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो उपनिदेशक (प्रशासन) वाल्मी लखनऊ के पक्षा में बन्धक हो, जमा करना आवश्यक है। उक्त धरोहर धनराशि न जमा करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
4. निविदा डालने हेतु फर्म/ठेकेदार के पास इसी प्रकार के कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका प्रमाण-पत्र फर्म/ठेकेदार के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. उपरोक्त कार्य हेतु फर्म/ठेकेदार के पास वैध पैन कार्ड, GSTIN पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
6. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस की होगी, एक बार प्रस्तुत की गई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
7. निविदा खोलने के उपरान्त पात्र निविदादाता द्वारा अनुबन्ध गठन करते समय कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. किसी भी प्रकार की शर्तों का संशोधन/परिवर्तन तथा निविदा को निरस्त करने का अधिकार उपनिदेशक (प्रशासन) वाल्मी में निहित है।
9. निविदा से संबंधित अन्य जानकरी निविदा प्रपत्र से प्राप्त की जा सकती है।
10. यदि निविदा जमा करने और निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो उसके अगले कार्य दिवस में पूर्व नियम समय तथा स्थान पर निविदा आमंत्रित की जायेगी तथा खोली जायेगी।
11. कार्य विवरण में अंकित मात्रायें आवश्यकतानुसार घटायी बढ़ायी जा सकती है।

उपनिदेशक (प्रशासन)
वाल्मी लखनऊ